न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला. पाली)

न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2016

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 68/2016

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीः-

दीपाराम पुत्र कानाराम कौम सीरवी — राजस्थान सरकार तहसीलदार

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955एवं अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम1956

तारीख रजूः 8/06/2016

उपस्थितः. वादीगण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 08/06/2016

"लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत देसूरी पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट" में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम देसूरी के जमाबंदी संवत् 2069-2072 के खसरा नम्बर 1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291 कुल खसरा 12 कुल रकबा 3.500 हैक्टेयर लगान 136.38 रूपये में वादी के पिता का नाम काना पुत्र मेगाजी के स्थान पर माना पुत्र मेगाजी दर्ज हो गया जो कि गलत रूप से दर्ज है अतः इसे दुरस्त करने हेतू वादी द्वारा वाद मय दस्तावेजात् प्रस्तुत किया गया।

पटवारी हल्का देसूरी व भू.अ.नि देसूरी की रिर्पोट ली गई एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा वादी के पिता का नाम काना वल्द मेगा मौजा ग्राम देसूरी के जमाबंदी संवत् 2041 से 2060 के खाता संख्या 159 में दर्ज दर्ज होना बताया गया। उस आधार मौजा ग्राम देसूरी के जमाबंदी संवत् 2069-2072 के खसरा नम्बर 1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291 कुल खसरा 12 कुल रकबा 3.500 हैक्टेयर लगान 136.38 रूपये मेंवादी के पिता नाम दुरस्त किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात,पटवारी व भू.अ.नि. की रिर्पोट , तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा के आधार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र के अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि वादीगण के पिता का नाम दुरस्त किया जाकर वादपत्र डिक्री करना उचित समझता हूँ।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण के पिता नाम सरहद मौजा ग्राम देसूरी के जमाबंदी संवत् 2069-2072 के खसरा नम्बर 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286,1287,1288,1289,1290,1291 कुल खसरा 12 कुल रकबा 3.500 हैक्टेयर लगान 136.38 रूपये में वादी के पिता का नाम माना पुत्र मेगाजी के स्थान पर कानाराम पुत्र मेगाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
केम्प देसूरी

निर्णय आज दिनॉक 08/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र देसूरी में सरे मजमा आम सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला पाली (राज0)
प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
केम्प देसूरी